1148
2022 II

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand
e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK67930553971986U
Certificate Issued Date	:	31-Jan-2022 04:23 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1204004/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120400440317411324346U
Purchased by	:	NA
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	VILLAGE KAMALPUR SAINIBANS ROORKEE HARIDWAR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	RAVI KUMAR
Second Party	:	RENU SINGH
Stamp Duty Paid By	:	RAVI KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	7,100 (Seven Thousand One Hundred only)

विक्रम जायसवाल
स्टाम्प विक्रेता ला.नं० 152/12
तहसील [illegible]

..........Please write or type below this line..........

Ravi Kumar

Renu

0003378844

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

उपहार पत्र (Gift Deed)

UID No- 754804295736

रवि कुमार

(उपहार दाता)

UID No-747850486660

श्रीमती रेणू सिंह

(उपहार ग्रहीता)

Ravi Kumar

NAVNEET JAISWAL AD.
Reg. No. UP-6476/95
UA-2835/04
Tehsil Haridwar

<u>उपहार पत्र –</u>

सरकारी मालियत 7,08,000/– रूपये

स्टाम्प शुल्क 7,100/– रूपये

भूमि क्षेत्रफल 195 वर्गमीटर

भूमिदर 3300/– रूपये प्रति वर्गमीटर, वर्णित सम्पत्ति 12 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है, इसलिए 10 प्रतिशत की वृद्धि करके दर 3630 /–रूपये प्रति वर्गमीटर भूमिदर पृष्ठ 10 क्रमांक 11 ट– 61 पर अंकित है।

वर्णित सम्पत्ति प्रमुख मार्ग (रूड़की गंगनहर के बराबर से धनौरी बहादराबाद मार्ग) पर कमालपुर सैनीबांस से बिचपड़ी तक से 50 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

<u>उपहार दाता व उपहार ग्रहीता एक ही जाति के सदस्य हैं।</u>

उपहार दाता एवं उपहार ग्रहीता विदेशी नागरिक/भारतीय मूल का विदेशी नागरिक नहीं है तथा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान का नागरिक भी नहीं है।

सम्पत्ति, शत्रु सम्पति, मन्दिर, ट्रस्ट, चर्च, कब्रिस्तान, धार्मिक संस्था की नहीं है।

इस उपहार पत्र के रजिस्ट्रेशन का समस्त खर्चा उपहार दाता (प्रथम पक्ष) ने वहन किया है। प्रथम पक्ष (उपहार दाता) ने अपनी सगी बहन श्रीमती रेणू सिंह द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) को उक्त भूमि उपहार दी है।

स्थित– श्री हरिदर्शन सिटी, ग्राम कमालपुर सैनीबांस, परगना रूड़की, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, बाहर सीमा नगर निगम क्षेत्र रूड़की है।

Ravi Kumar

Renu

हम कि, रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री महेन्द्रपाल सिंह निवासी– म.न. 783, दयानन्द नगरी, ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार – प्रथम पक्ष (उपहार दाता)

एवं

श्रीमती रेणू सिंह पत्नी श्री सचिन सिंह पुत्री स्व0 श्री महेन्द्रपाल सिंह निवासी– म.न. 783, दयानन्द नगरी, ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार – द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) के हैं।

विदित हो कि निम्नलिखित सम्पत्ति जिसका विवरण उपहार–पत्र के अन्त मे दिया गया है जो कि आज तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन के भार से शुद्ध एवं मुक्त है कही पर आड रहन या बन्धक नही है और न ही उक्त सम्पत्ति को बन्धक करके कोई ऋण आदि किसी बैंक महकमे कम्पनी सोसाईटी आदि से लिया हुआ है जिसका प्रथम पक्ष (उपहार दाता) स्वामी व अधिकारी है प्रथम पक्ष (उपहार दाता) उक्त सम्पत्ति को उपहार देने में पूर्ण सक्षम है अब प्रथम पक्ष (उपहार दाता) ने अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था मे अपनी इच्छा व प्रसन्नता से उक्त सम्पत्ति द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) को उपहार दे दी है और द्वितीय पक्ष ने सहर्ष उपहार में लेनी स्वीकार की है। कब्जा मौके पर उक्त सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) का करा दिया है वह उसमें अपने लाभ के लिये कोई भी कार्य करे, निर्माण कार्य करे, नक्शा आदि पास कराये, विक्रय आदि करे और लाभ उठाये, उपहार दाता को कोई आपत्ति नहीं है, आज दिनांक के बाद द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) को अधिकार होगा कि निम्न सम्पत्ति को विक्रय करें, या अपने प्रयोग में लावे, व विक्रय पत्र, इकरारनामा, मुख्तारनामा आदि दस्तावेज लिखे, प्रथम पक्ष (उपहार दाता) को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपहार ग्रहीता निम्नलिखित सम्पत्ति का दाखिल खारिज अपने नाम पर करावें और किसी भी कार्यालय/न्यायालय में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें, प्रथम पक्ष (उपहार दाता) को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब प्रतिज्ञा करते है और लिखे देते है कि आज से प्रथम पक्ष (उपहार दाता) का निम्नलिखित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। प्रथम पक्ष (उपहार दाता) प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार है जो कानूनन एक उपहार दाता पर आयद होती हैं उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपहार ग्रहीता उक्त सम्पत्ति अपने नाम दाखिल खारिज करा ले, उपहार दाता पूरा–पूरा सहयोग करेगा। द्वितीय पक्ष श्रीमती रेणू सिंह की माता श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री महेन्द्रपाल सिंह के नाम उत्तराखण्ड राज्य मे 12.09.2003 से पूर्व की अपनी अचल सम्पत्ति है उत्तरांचल भू–अधिनियम संख्या 29/03 की किसी धारा का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वर्णित सम्पत्ति उपहारदाता की निजी सम्पत्ति है, जिसके उपहार दिये जाने में RERA अधिनियम 2016 का कोई उल्लंघन नहीं होता है। वर्णित सम्पत्ति अक्षांश 29.930999 व देशांतर 77.9984739 पर स्थित है।

RaviKumar

Renu

विवरण सम्पत्ति :– आवासीय प्लाट नं0 1, खसरा नं0 111 व 112, जिसकी पैमाईश पूरब 13 मीटर, पश्चिम 13 मीटर, उत्तर 15 मीटर, दक्षिण 15 मीटर, क्षेत्रफल 195 वर्गमीटर है, उपरोक्त खसरा नं0 111 में 100 वर्गमीटर भूमि व खसरा नं0 112 में 95 वर्गमीटर भूमि उपहार दी गयी है, उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरो में कुल 195 वर्गमीटर भूमि उपहार दी गयी है, जो स्थित– श्री हरिदर्शन सिटी, ग्राम कमालपुर सैनीबांस, परगना रूड़की, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार, बाहर सीमा नगर निगम क्षेत्र रूड़की है। जिसके पूरब रास्ता 12 मीटर चौड़ा, पश्चिम प्लाट अन्य व्यक्ति, उत्तर सम्पत्ति द्वितीय पक्ष, दक्षिण प्लाट नं0 2 है। राजस्व अभिलेखो में उपहारदाता का नाम दर्ज है। उक्त भूमि न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी हरिद्वार द्वारा धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित है। उपरोक्त वर्णित भूमि हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार से मानचित्र अनुज्ञापत्र संख्या 60/म0यो0/मान0/रूड़की/ले0 आउट/13/2020–21 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा स्वीकृत है। विक्रेता वेदान्ता बिल्डकॉन का दस्तावेज नं0 487 पर दिनांक 26.11.2018 ई0 के आधार पर पार्टनर है। **Real Estate (Regulation & Devlopement) Act 2016** के अन्तर्गत RERA से रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है। जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UKREP06210000379 दिनांक 08.06.2021 है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

बायाँ हाथ उपहार दाता (रवि कुमार)

अंगुष्ठ   तर्जनी   मध्यमा   अनामिका   कनिष्ठका

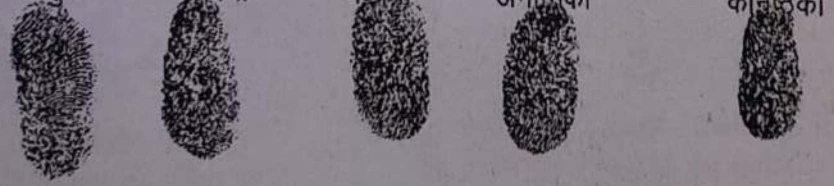

दायाँ हाथ उपहार दाता (रवि कुमार)

अंगुष्ठ   तर्जनी   मध्यमा   अनामिका   कनिष्ठका

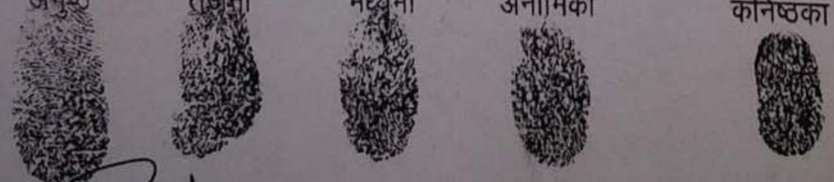

Ravikumar

बायाँ हाथ उपहार ग्रहीता (श्रीमती रेणू सिंह)

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

दाया हाथ उपहार ग्रहीता (श्रीमती रेणू सिंह)

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका

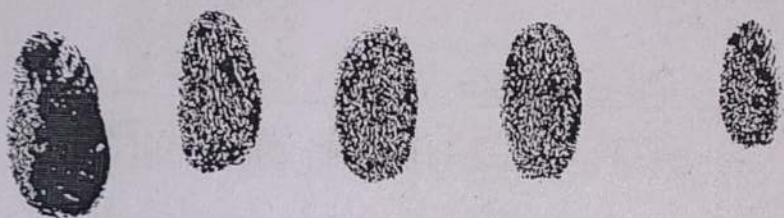

अतः यह उपहार पत्र (Gift Deed) लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

तहरीर तारीख– 31.01.2022

Ravikumar

Monu kumar

गवाह– मोनू कुमार
पुत्र श्री सतीश कुमार
निवासी– म.न. 347, हीरापारी पट्टी,
बरला, मुजफ्फरनगर,
उ0प्र0।
UID No- 786827138067

गवाह– राजीव कुमार
पुत्र श्री प्रेम कुमार
निवासी – म.न. 126, आदर्श नगर
ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।
UID No- 349594635920

टाईपिस्ट
रविन्द्र सिंह

रचियता
नवनीत जायसवाल एडवोकेट
हरिद्वार
Reg.No.-UP-6476/95
UA-2835/04

बही संख्या 1 जिल्द 6,326 के पृष्ठ 141 से 162 पर क्रमाक 1147

पर आज दिनांक 31 Jan 2022 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,रुड़की,द्वितीय
31 Jan 2022